

16 MAR 2022

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

16 MAR 2023

क्रमांक: प.18(1)नविवि/प.ई.नी./2015

जयपुर, दिनांक

—:आदेश:—

वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा संख्या 166 के अन्तर्गत पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र (Tourism and Hospitality) को औद्योगिक क्षेत्र (Industry sector) के रूप में पूर्ण मान्यता दी गई है और भविष्य में इस क्षेत्र पर Industry norms के अनुसार ही Government tariff व Levies देय होंगे।

प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार ने अपने पत्र क्रमांक एफ.9 () ई.सी./निवेश/प.वि/2022/3047 दिनांक 18.05.2022 के बिन्दु संख्या प्रथम व द्वितीय में औद्योगिक लाभ हेतु Entitlement certificate के लिए पर्यटन इकाईयों को पात्र घोषित किया है तथा निदेशक पर्यटन विभाग जयपुर ने अपने कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.9 () ई.सी./निवेश/प.वि/2022/3093 दिनांक 18.05.2022 के द्वारा Entitlement certificate हेतु आवेदन पत्र एवं उसका परीक्षण तथा उक्त certificate जारी करने हेतु स्थानीय पर्यटन स्वागत केन्द्र के प्रभारी अधिकारियों को अधिकृत किया है।

अतः जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-90, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 व अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 35 राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 की धारा 104-ए व राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा-60 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह आदेश करती है कि Tourism and Hospitality sector के रूप में पूर्ण मान्यता दिये जाने की घोषणा के अनुसरण में पर्यटन विभाग के आदेश दिनांक 18.05.2022 में उल्लेखित पर्यटन इकाईयां हेतु Industry norms के अनुसार Government tariff व levies देय होंगे

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष सौमेल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव -प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
8. सचिव, समस्त नगर विकास, न्यास।
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम